पत्रांक– वित्त(SFC)–12/24(15)(UD&HD)....–35–..../वि0 आ0
झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक–30.01.2025

प्रेषक,

सचिव
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

विषय– **पंचम राज्य वित्त आयोग को कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उक्त विषय के क्रम में निदेशानुसार निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराया जाय।

1. Jharkhand Municipal Act-2011 में कतिपय प्रावधान है उन प्रावधान के कार्यान्नवयन की क्या स्थिति है :–

   (i) Municipal Establishment Audit Commission (Sec–61)

   (ii) Jharkhand Property Tax Board (Section–153)

   (iii) Municipal Ombudsman (Section–63)

   उक्त तीनों का गठन हुआ है अथवा नहीं ?

2. क्या राज्य सरकार State Water Board का गठन पर विचार कर रहा है वर्तमान में Water Supply का कार्य ULBs द्वारा कहीं–कहीं किया जा रहा है ?

   (ii) कहीं –कहीं पर यह कार्य कई संस्था यथा DWSD, MADA and ULB कर रहा है ?

   (iii) JIADA के क्षेत्रीय स्तर पर AIADA, BIADA, SPIAD, RIADA में Water Supply industrial purpose के लिए किस स्तर पर हो रहा है ? क्या ULB यह कार्य करता है ?

   (iv) काफी बड़ी जलापूर्ति योजनाएं विभिन्न ULB में निर्माणाधीन है, उनका O&M एक बड़ा दायित्व होगा जो Certain Manpower की आवश्यकता Management Team के रूप में रखना होगा।

   (v) जलापूर्ति ULBs के प्रमुख दायित्व है। अद्यतन Coverage प्रायः काफी कम है।

3. क्या Cantonment Board अभी भी ULB के रूप में अधिसूचित है अथवा नहीं ?

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है ? भारत सरकार की क्या यह संस्था है ? केन्द्रीय वित्त आयोग क्या कोई संसाधन इसे आवंटित करता है ?

4. रामगढ़ MC के क्षेत्र से Main Area Cantonment Board के कारण बाहर है। क्या इस पक्ष पर विभाग कोई समीक्षा करना चाहता है ?
5. आयोग के पत्रांक–249 दिनांक–16.12.2024 के क्रम में स्थिति कंडिकावार स्पष्ट किया जाय।
6. आयोग के पत्रांक–18 दिनांक–17.01.2025 के कंडिकावार याचित सूचना प्रेषण।
7. विभागीय Nodal पदाधिकारी कौन है, उनका ब्यौरा दिया जाय।
8. जमशेदपुर –TATA- Industrial Town Notified है, उसकी अधिसूचना की प्रति तथा अद्यतन प्रगति से अवगत कराया जाय।
9. बार–बार सूचना के बाद 28.01.2025 की ULB के साथ VC में कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुआ।
10. उक्त के क्रम में कृपया सहयोग करने का कष्ट करें तथा यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध कराये।

विश्वासभाजन,

सचिव
राज्य वित्त आयोग।